राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर. / कृषि / 20 / 2020–21–　　　　दिनांक–04.02.2021

vYidkyhu fufonk@[kqyh ckyh lpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में रबी 2020–21 के दौरान बोये गये सरसों / तोरिया की फसल का 300.60 हे0 (751.50 एकड) की **dVkbl@xgkbl** हेतु सीलबन्द निविदा व खुली बोली चकवार दिनांक 12.02.2021 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सांय 3.30 बजे फार्म की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाये निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रूपये 10000 / –(दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि ''**u'kuy lhM~l dkjiksjs'ku fyfeVsM] ljnkjx<**'' के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236 / – including 18% GST (नॉन रिफन्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। सफल बोली / निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236 / – (नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम / शर्तो की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है व इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। बोलीदाता / निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड / GST की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होगे।

ukV% & V.Mj fnol dk vijkgu 2-00 cts ds ckn dksbZ V.Mj QkeZ tkjh ugh tk;xk o 3-00 cts ds ckn dksbZ Hkh V.Mj QkeZ Lohdkj ugh fd;k tk;xkA

lgk;d çcU/kd ¼mRiknu½
Ñr funs'kd

dsUnzh; jkT; QkeZ] ljnkjx< ¼jktLFkku½

क्रमांकः– सर/कृषि/20/2019–20–　　　　　　　　　　दिनांकः –

ljlks@rksfj;k dh dVkbZ@xgkbZ ds fu;e o 'krsZ

1. ठेकेदार को धरोहर राशि रूपये 10000/– का बैंक ड्राफ्ट द्वारा ''**u'kuy lhM dkjiksjs'ku fyfeVsM] ljnkjx<**'' के नाम से सूरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. सरसों व तोरिया की कटाई व इकठ्ठा करने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
3. फसल की कटाई के बाद पहले छोटी–छोटी ढेरियां लगानी होंगी तथा सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार 3 या 4 बड़े ढेर लगाने होंगे।
4. सरसों/तोरिया की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को टेण्डर फार्म में दी गयी दरों के अनुसार करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकठ्ठा होने के बाद 08–10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
5. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
6. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
7. ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
8. व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तो बकाया कार्य उसके खर्चे पर किसी और व्यक्ति या पार्टी से करवाया जायेगा। 'यदि दरों में कोई अन्तर होता है तो उसकी वसूली फार्म की तरफ से देय भुगतान/धरोहर राशि से किया जायेगा व ठेकेदार का नाम फार्म की काली सुची में डाल दिया जायेगा।
9. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक/मानव क्षति होने की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
10. इस ठेके में यदि कोई टैक्स (राज्य/केन्द्रीय)लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रुप से देना होगा।
11. निविदा कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
12. ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य शुरु नही करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फार्म कार्य अन्य ठेकेदार से कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। साथ ही ठेकेदार को फार्मों की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. चकवाइज कटाई की तिथि चक/खण्ड प्रभारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। तिथि सूचित करने के 24 घन्टे के अन्दर कार्य आरम्भ करना होगा। समय से कार्य प्रारम्भ नही करने की स्थिति में कार्य अन्य ठेकेदार से कराया जायेगा तथा यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार की धरोहर राशि या बकाया बिल भुगतान से की जायेगी।
14. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

lgk;d çca/kd ¼mRiknu½
Ñrs funs'kd

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

fufonk&i=

fnukad%&dkekd&------------------

jch 2020&21 dh nkjkus ckaah x;h ljlk@ljlka lkx@rkfj;k dh dVkbZ@xgkbZ vkfn dk;Z gsrq

खेतो में खडी फसल को हाथ से काटना, एकत्रित करना, स्वयं की कम्बाईन/थ्रेसर में झोकना, दाने को फार्म की ट्राली/ ट्रक में भरना, खलियान साफ करना व इसके वदले में तुडी/स्ट्रा ले जाना।			रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ फार्म से लूँगा।
खण्ड़ न0.	लॉट व चक न0	सरसों/साग सरसों (एकड़)		
खण्ड–4	**3@40 ih-ch-,u- ykV&2**	72.00		
	5@42 ih-ch-,u- ykV&2	49.50		
	6@43 ih-ch-,u- ykV&1	53.50		
	7@43 ih-ch-,u- ykV&2	70.00		
	8@44 ih-ch-,u-	56.00		
	9@45 ih-ch-,u-	19.00		
	;ksx	**320.00**		
खण्ड–5	**10@47,**	26.00		
	11@49,	129.00		
	8@47ch49ch	99.50		
	10@51 ch	101.00		
	11@48 ih-ch-,u-	76.00		
	;ksx	**431.50**		
	dqy ;ksx	**751.50**		

दिनांकः – ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

गांव व पोस्ट :– ....

जिला :– ....

फोन नं. :– ....

iSu ua-@ GST u0 %& ------------------------------------